HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 185/2024

Smt. Pappi Devi W/o Shri Omprakash Nayak, Aged About 47 Years, R/o Ambedkar Colony, Moti Nagar, Kherda, District Sawai Madhopur (Raj.).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Mahesh S/o Shri Radheyshyam, R/o Purana Khandar Road Shahar, Vigyan Nagar, Police Station Kotwali, Sawai Madhopur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sandeep Sharma, Adv. Mr. Sunil Kumar Jangid, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/12/2024

पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468 भा.दं.सं. में विपक्षी/अभियुक्त महेश को विद्वान सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 02.12.2024 को अभियुक्त को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत की सुविधा दी गयी जिसे निरस्त करने हेतु याची–परिवादी की ओर से यह जमानत निरस्तीकरण आवेदन पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता याची–परिवादी तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अरूपांतरित भूमि को रूपांतरित होना बताते हुए परिवादी को विक्रय कर 1,40,000 रूपये प्राप्त कर धोखाधड़ी की।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा अभियुक्त को जो नियमित जमानत सुविधा दी गयी है, उसमें हस्तक्षेप किया जाना अथवा निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण आवेदन अन्तर्गत धारा 439(2) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

MANISH SAINI /422 (S)